तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुनीता बनाम राज्य सरकार क्र.सं. 08/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/06/2024	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 03/07/24 को पेश हो।	
03/07/2024	पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा गया। एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/07/2024 को पेश हो।	
10/7/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 18/7/24 को पेश हो।	
18/7/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 30/7/24 को पेश हो।	
30/7/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया राजस्व रिकार्ड, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ... दि० 06.10.23 तहसीलदार एवं मौका पर्चा ... प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध ... वाकर ... पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः– 08 / 2023

1. सुनीता पत्नि सतेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कुम्हा तहसील उच्चैन हाल निवासी 866 बापू नगर जयपुर।

...................प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

...................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 111,128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय   दिनांकः– 30/07/2024

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1118,1119 बाकै ग्राम पना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीया सम्पूर्ण के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। मौके पर चारों तरफ से डोल मेड डली हुई है तथा उक्त डोल मेडों एवं निशानात के आधार पर प्रार्थीया उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक कास्त करती चली आ रही है लेकिन पडौसी खातेदार उक्त आराजी की डौल मैडों को धीरे धीरे तोडते रहते है एवं मेरी खातेदारी की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अपनी उक्त आराजी की प्रार्थीया ने जरिये पटवारी दिनांक 06.10.2023 को पैमाइश कराई थी तथा उक्त आराजी की डौल मैडों को दुरस्त किया था। प्रार्थीया द्वारा उक्त पैमाइश के आधार पर तहसीलदार एवं पटवारी से पत्थर गढी कराये जाने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवारी ने पत्थरगढी करने साफ इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा। प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बर 1118,1119 बाके ग्राम पना तहसील उच्चैन की दिनांक 06.10.2023 को की गई पैमाईश के मुताबिक चारों दिशाओं का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 24.06.2024 को जबाव पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा मौका पर्चा ग्राम पना की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की है। जो कि पत्रावली के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू.राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने पूर्व में भी तहसीलदार उच्चैन को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार उच्चैन ने हल्का पटवारी को सीमा ज्ञान के लिए आदेशित किया था। जिसकी पालना में हल्का पटवारी के द्वारा विवादित जायदाद की दिनांक 06.10.2023 को पैमाइश की जा चुकी है।

वकील प्रार्थी की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर गौर किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि वह विवादित जायदाद आराजी खसरा नम्बर 1118,1119 बांके ग्राम पना तहसील उच्चैन का सीमाज्ञान करावें तथा प्रार्थीगण के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बाबत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विष्णु बसंल (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर